''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''



छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २९१-अ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर 2010—कार्तिक 24, शक 1932

रकूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13—47/20—तीन/2010.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

<u>नियम</u> भाग एक-प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 कहलाएंगे । (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009;

- (ख) "आंगनबाड़ी" से अभिप्रेत है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र:
- (ग) "नियत तारीख" से अभिप्रेत है, राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है,
- (घ) ''जिला शिक्षा अधिकारी'' से अभिप्रेत है, किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारसाधक समुचित सरकार का कोई अधिकारी;
- (ङ) "छात्र-शिक्षक संचित अभिलेख" से अभिप्रेत है, विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख;
- (च) "विद्यालय योजना निर्माण" से अभिप्रेत है, सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना।
- (2) इन नियमों में "प्ररूपों" के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिशिष्ट एक में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश है।
- (3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत हैं।

भाग दो-विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य.— (1) गैर—सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जो इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति का गठन राज्य शासन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के

माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा.—

(एक) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा;

(दो) विद्यालय के अध्यापकों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा;

(तीन) स्थानीय शिक्षाविदों, विद्यालय के बालकों में से एक-तिहाई जिनका विनिश्चय उक्त समिति में माता-पिताओं द्वारा किया जाएगा;

(चार) विद्यालय प्रबंध समिति में खण्ड (एक), (दो), (तीन) एवं (चार) को मिलाकर 50% महिलाएँ सदस्य होंगी। (4) उक्त समिति अपने क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता-पिता सदस्यों में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। विद्यालय का प्रधान अध्यापक, या जहां विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, उक्त समिति का पदेन सदस्य-संयोजक होगा।

5) उक्त समिति माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के

लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) उक्त समिति, धारा 21 की उप—धारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों

के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्त्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास के जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना;

(ख) धारा 24 के खंड (क) और (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करना

(ग) इस बात को मानिटर करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को

सुनिश्चित करनाः

- (ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना;
- (च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उप—धारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपवंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना;
- (छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना;
- (ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उस पुरा करने को सुनिश्चित करना;
- (झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानिटर करना;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

(7) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक खाते में रखा जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।

(8) उप-नियम (6) के खंड (ञ) में और उप-नियम (7) में निर्दिष्ट लेखाओं को उत्तर समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उनके तैयार किए जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी की उपलब्ध

कराया जाना चाहिए।

- 4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना.— (1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।
 - (2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उप-योजनाएं होंगी।
 - (3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात्-
 - (क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन;
 - (ख) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा;
 - (ग) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, तीन वर्षों की अवधि से ऊपर अतिरिक्त अवसरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा:
 - (घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी है।
 - (4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग तीन-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

- 5. विशेष प्रशिक्षण.— (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति, विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्:—
 - (क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार समुचित शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा;
 - (ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय स्विधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा;
 - (ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा;
 - (घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनिधक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
 - (2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष

कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग चार-केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- 6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं.— (1) आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है निम्नलिखित होंगी.
 - (क) कक्षा 1 से 5 के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा;
 - (ख) कक्षा 6 से 8 के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा।
 - (2) जहाँ कहीं अपेक्षित हो, समुचित सरकार या स्थानीय निकाय कक्षा 1 से 5 वाले विद्यमान विद्यालयों को कक्षा 6 से 8 को सिम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत कर सकेगी। ऐसे विद्यालयों के संबंध में, जो कक्षा 6 से आरंभ होते है, समुचित सरकार या स्थानीय निकाय, जहां कहीं आवश्यक हो, कक्षा 1 से 5 जोड़ने का प्रयास करेगी।
 - (3) किवन भू—भाग, भूस्खलनों के जोखिम, बाढ़ कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उप—नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके।
 - (4) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पता लगाए गए ऐसे लघु पुरवों के बालकों के लिए, जहां उप—िनयम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उक्त नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या सीमाओं के शिथिलीकरण में, विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा।
 - (5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे स्थानों मे 6–14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आसपास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार कर सकेगा।
 - (6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है और प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।
 - (7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के संबंध में जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती हैं, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेगा।
 - (8) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबाधित न हो।

- 7 राज्य शासन का केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधनों के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व.— (1) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियत तारीख से एक मास के भीतर, पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी, जिन्हें प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
 - (2) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उसके कार्यक्रम अधिनियम क्रे उपबंधों के अनुरूप है।
 - (3) राज्य सरकार, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करेगी और उस व्यय की, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में वह स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगी, प्रतिशतता का अवधारण करेगी।
 - (4) राज्य सरकार, क्रियान्वयन हेतु, केन्द्र सरकार से संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए एक अनुकल्पी तंत्र का गठन कर सकेगी।
- 8. राज्य सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व.— (1) राज्य सरकार, राज्य पाठ्यचर्या के ढांचे के विकास के लिए नियत तारीख से एक मास के भीतर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी।
 - (2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ और ऐसे अन्य शैक्षिक प्राधिकारियों से परामर्श करके, जो वह आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (एक) से (तीन) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों के संबंध में अध्यापकों के सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण का उपबंध करने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए योजना (योजनाएं) तैयार करेगी, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के मानकों के अनुसार कोई मानिटरी तंत्र भी है।
- 9. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व.— (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (एक) में निर्दिष्ट समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 की उप—धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (दो) में निर्दिष्ट विधालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उप—धारा (1) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक निःशुल्क पाद्यपुरत्तकों, लेखन—सानीयों और नणवेश के लिए हकदार होगा।

परंतु निःशक्तता से यस्त कोई जातक नि गुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण— उप—ितयम (१) के प्रयोजना के लिए, यह उल्लेखनीय है कि धारा 12 की उप—धारा (१) के खंड (ख) के अनुसार प्रयेश दिए गए बालक और धारा 12 की उप-शारा (१) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के संबंध में निश्चल हकवारी प्रदान करने का उन्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (वो) और धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (वोन) और धारा 2 के खंड (क्व) के उप-खंड (वीन) और धारा 2 के खंड (क्व) के उप-खंड (वीन) और धारा 2 के खंड (क्व) के उप-खंड (वीन) और धारा वाल में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

- (2) आस-पास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सिहत सभी बालकों की नियत नारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा।
- (3) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्यधीन नहीं हो।
- (4) धारा 8 के खंड (ग) और धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में तथा शौचालय या कक्षाओं की सफाई में अलग न रखा जाए या उसके विरुद्ध विभेद न किया जाए।
- 10. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना.— (1) स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन, सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण व्दारा, उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा।
 - (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
 - (3) उप-नियम में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और उसका उपयोग धारा 9 के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
 - (4) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में, प्रत्येक बालक के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
 - (क) नाम, लिग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान;
 - (ख) माता-पिता / संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;
 - (ग) वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां बालक (छह वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है;
 - (घ) प्राथमिक विद्यालय, जहां बालक को प्रवेश दिया जाता है;
 - (ङ) बालक का वर्तमान पता;
 - (च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए) और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है, तो ऐसे जारी न रहने का कारण;
 - (छ) क्या बालक कमजोर वर्ग का है;
 - (ज) क्या बालक किसी अलाभप्रद समूह का है;
 - (झ) क्या बालक (1) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (2) आयु अनुसार समुचित्र प्रवेश; और (3) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है।
 - (5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में नामांकित समस्त बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित किए गए है।

भाग पाँच-विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

- 11. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश.— (1) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 12 की उप—धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा, न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएंगी।
 - (2) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप—धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के संबंध में, किसी भी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।
 - (3) नियम 6 के उप—िनयम (1) में विनिर्दिष्ट आसपास का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उप—धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार दिए गए प्रवेशों को लागू होगी। परंतु विद्यालय, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा।
- 12. समुचित सरकार द्वारा प्रति-बालक व्यय की प्रतिपूर्ति.— (1) समुचित सरकार द्वारा सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित, धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (एक) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों की बाबत प्रारंभिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केन्द्रीय सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, समुचित सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति बालक व्यय होगा।

स्पष्टीकरण - प्रति बालक व्यय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (दो) में निर्दिष्ट विद्यालयों पर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

- (2) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप—धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 13. आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज.— जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहाँ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा—
 - (क) अस्पताल/ सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख;
 - (ख) आंगनबाड़ी अभिलेख;
 - (ग) माता-पिता या संरक्षक व्दारा बालक की आयु की शपथपत्र के द्वारा घोषणा।

- 14. प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि.— (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह भास की होगी।
 - (2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।
- 15. विद्यालय को मान्यता— (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित किया गया, केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ के तीन मास की अवधि के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट संन्तियमों और मानकों के उसके व्दारा अनुपालन किए जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में प्ररूप सं. 1 में एक स्वधाषणा करेगा, अर्थातः—
 - (क) विद्यालय, सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1860 का 21) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है;
 - (ख) विद्यालय, किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है;
 - (ग) विद्यालय, संविधान में प्रतिस्थापित आदर्शों के अनुरूप है;
 - (घ) विद्यालय, भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं;
 - (ङ) विद्यालय, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध है;
 - (च) विद्यालय, समय—समय पर ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिनकी अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करते हैं, जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
 - (2) प्ररूप 1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा उसके प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी व्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
 - (3) जिला शिक्षा अधिकारी उप-नियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों तथा गर्तों को पूरा करने के लिए स्वतः घोषणा प्राप्त होने के तीन मास के भीतर उन विद्यालयों का स्थल पर निरीक्षण कराएगा जो प्ररूप संख्या 1 में दावा करते हैं।
 - (4) उप—ित्यम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात् , निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत की जाएगी और विद्यालयों की मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्ररूप संख्या 2 में मान्यता प्रदान की जाएगी।
 - (5) वे विद्यालय जो उप—नियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किए जाएंगे, ऐसे विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से इस प्रकार अगले

ढाई वर्ष के भीतर किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे, ताकि ऐसी अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो।

- (6) वे विद्यालय जो इस अधिनियमं के प्रारंभ से तीन वर्ष के पश्चात् उप-नियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं है, कार्य करना बंद कर देंगे।
- (7) केन्द्रीय सरकार तथा समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चांत की गई है, वे इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अर्डता प्राप्त करने के क्रम में उप-नियम (1) में उल्लिखित मानदंडों, मानकों आर शतौं के अनुरूप होंगे।
- 16. विद्यालय की भान्यता वापस लेना.— (1) जहां जिला शिक्षा अधिकारी (जो इसमें इसकें पश्चात् उक्त अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 15 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, तो वह निम्नलिखित रीति से कार्य करेगा:—
 - (क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना
 - (ख) स्पष्टीकरण के समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में, उक्त अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कराएगा, जो तीन या पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें शिक्षाविद, सिविल समाज के प्रतिनिधि, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो सम्यक् जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों सहित उक्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगी;

(ग) उक्त अधिकारी समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेगा।

परंतु उक्त अधिकारी द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगाः

परंतु यह और कि उक्त अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उक्त अधिकारी द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा और वह निकट के ऐसे विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें मान्यता वापस लिए गए विद्यालय के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

भाग छ:-अध्यापक

17. न्यूनतम अर्हताएं.— (1) राज्य सरकार, नियत तारीख के एक मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ अधिकथित करने हेत् एक शैक्षणिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अनुसरण में अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर किसी प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के

लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्युनतम अर्हताएं अधिकथित करेगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी।

18. न्यूनतम अर्हताओं का शिथिलीकरण— (1) राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंग से छह मास के भीतर धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के लिए अनुसूची

में मानदंडों के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगी।

(2) जहां किसी राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या नियम 17 के उप—िनयम (2) के अन्तर्गत यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति उप—िनयम (1) के अधीन प्राक्कलित अध्यापकों की आवश्यकता के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार से विहित न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के लिए अनुरोध करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उप—नियम (2) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य सरकार के अन्रोध की परीक्षा करेगी और अधिसूचना द्वारा, न्यूनतम अर्हताओं को शिधिल

कर सकेगी।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अधिूसचना में शिथिलीकरण की प्रकृति और तीन वर्ष से अनिधक की समयावधि, किन्तु जो अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष के परे नहीं होगी, विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसके भीतर शिथिल की गई शतौं के अधीन नियुक्त किए गए अध्यापक धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित करेंगे।

(5) अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के पश्चात्, किसी विद्यालय के लिए अध्यापक की कोई नियुक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जिसके पास नियम 17 के उप-नियम (2) में अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, उप-नियम (3)) में निर्दिष्ट

शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना नहीं की जाएगी।

(6) अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को कम से कम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य स

अन्यून शैक्षणिक अर्हता धारण करनी चाहिए।

19. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना.— (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के प्रारंभ के समय, उप—िनयम (एक) में निर्दिष्ट विद्यालयों में और धारा 2 के खंड (ढ) के उप—खंड (तीन) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित विद्यालयों में, सभी अध्यापकों, जिनके पास नियम 17 के उप—िनयम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के

भीतर ऐसी न्यूनतम अईताएं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

- (2) धारा 2 के खंड (ढं) के उप—खंड (तो) और (चार) में निर्दिष्ट विद्यालय तथा धारा 2 के खंड (ढं) के उप—खंड (तीन) में निर्दिष्ट विद्यालय, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित नहीं है, में किसी ऐसे अध्यापक के लिए, जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ के समय नियम 17 के उप—नियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन, ऐसे शिक्षक को अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने में समर्थ वनायेगा।
- 20. अध्यापकों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्ते (1) यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, अध्यापकों का वृत्तिक और स्थायी संवर्ग सृजित करने के क्रम में उनके स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रविधित विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्ते तथा वेतन और भन्ने अधिसूचित करेगा।

(2) विशिष्टतया और उप-नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के निवंधनों और

शर्तों में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:--

(क) अध्यापंकां की विद्यालय प्रबंध समिति को जवाबदेही;

- (ख) शैक्षणिक वृत्ति में अध्यापकों के दीर्घावधि तक बने रहने के समर्थकारी रुपब्ध।
- 21: अध्यापको द्वारा अनुपालन किए जाने जाल कर्तव्य.- (१) अध्यापक एक फाइल संधारित करेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचर्य आंगेलेख अन्तर्विष्ट होगा जो . प्राथितिक शिक्षा के पूरा होने के लिए प्रमाण पत्र देने हतु आधार होगा।
 - (2) अध्यापक धारा 24 की उप-४।९१ (1) के खंड (क) से खंड (ड.) तक में रिनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्हितिखित कर्त्तव्यों का अनुपालन कर सकेंगे:-
 - (क) प्रशिक्षण कर्शकर्मा में भाग लेना.
 - (ख) प्राठयनुर्ध्या निर्माण और एत्यळम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठयपुरत्तक विकास में भाग लेना।
- 22. शिला-अवसारक अनुपात क्याए रखना.— (1) किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वांकृत संख्या, राज्य मरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति, नियत तारीख के ीनर अधिसूचित की जाएगी।

्रमंतु २.२५ भरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना के नीन भास के भीतर, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसंचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से . अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैनाती की जाएगी।

(2) यदि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति, धारा 25 की उप-धारा (2) के प्राथधानों का उल्लंघन करते हैं तो वह व्यक्तिगत ऊप सं अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दाया होगा / होगी।

भाग सात- पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना

23. शैक्षणिक प्राधिकारी.— (1) राज्य सरकार, नियत तारीख के एक माह के भीतर, धारा 29 के प्रयोजन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करेगा।

(2) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय, उप-नियम (1) के

अधीन शैक्षिक प्राधिकारी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्-

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुरतकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा,

(ख) सेवा तथा पूर्व सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा, ओर

(ग) निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

(3) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट शेक्षणिक प्राधिकारी, नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय गुण निर्धारण की प्रक्रिया, डिजाइन और कार्यान्वित करेगा।

24. प्रमाण पत्र प्रदान करना.— (1) प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र, विद्यालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के एक मास के भीतर जारी किया जाएगा।

(2) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्किष्ट होगा।

भाग आठ-बाल अधिकारों का संरक्षण

- 25. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन.— राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।
- 26. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों की प्रस्तुत करने की रिति— राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को रिजिस्टर करने के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा जो उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनीटर की जा सकेगी।
- 27. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन.— (1) वह समुचित सरकार जिसका कोई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं है, तुरंत ऐसे आयोग की स्थापना के लिए कदन उठा सकेंगी।
 - (2) जब तक समुचित सरकार, राज्य वाल अधिकार संरक्षण अधीग की स्थापना करे तब तक वह अधिनियम के प्रारंभ से छः मास के भीतर धारा 31 की उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक अंतरिम प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चान आईपीए कहा गया है। का गठन करगी या गज्य वाल अधिकार संरक्षण अग्योज का गठन करगी या गज्य वाल अधिकार संरक्षण अग्योज

- (3) शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण (आरईपीए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्
 - (क) अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या जिसने वाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, और
 - (ख) दो सदस्य, जिनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक महिला होगी और वे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो प्रख्यात, योग्य, विश्वसनीय, गणमान्य हैं, और जिनको निम्नलिखित में अनुभव है-
 - . (एक) शिक्षा
 - . (दो) बाल स्वारथ्य देखभाल और बाल विकास,
 - (तीन) किशोर न्याय या उपेक्षित या निम्नवर्गीय या निःशक्त बाल देखभाल,
 - (चार) बाल श्रमिक उन्मूलन या व्यथित बच्चों के साथ कार्य करना,
 - (पांच) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र,
 - (छः) विधिक वृत्ति
- (4) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 जहां तक उनका संबंध निबंधनों और शर्तों से है यथावश्यक परिवर्तन सहित आरईपीए के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को लागू होंगे।
- (5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरंत पश्चात् आरईपीए की सभी अभिलेख और आस्तियां उसे अंतरित हो जाएंगी।
- (6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए यथारिथति, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट विषयों पर भी कार्यवाही कर सकेगा।
- (7) समुचित सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में यथास्थिति संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।
- 28 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति.— राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरईपीए कहा गया है) यथास्थिति, एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा जो अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को रजिस्टर करेगी जिसे उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनीटर किया जा सकेगा।
- 29. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन.— (1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।
 - (2) राज्य शासन के शालेय शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।
 - (3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जो

निम्नानुसार हैं।

- (क) चार सदस्य ऐसे व्यकित्यों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं।
- (ख) दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो,
- (ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा,
- (घ) दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हैं।
- (ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे-
 - (एक) प्रभारी साचिव, स्कूल शिक्षा
 - (दो) प्रभारी सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग
 - (तीन) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
 - (चार) सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण
 - (पांच) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- (च) सभी सदस्यों में एक तिहाई महिलाएं होंगी।
- (छ) सचिव, परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे।
- (4) परिषद् , अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।
- **30. राज्य सलाहकार समिति के कृत्य.** (1) राज्य सलाहकार समिति सलाहकार हैसियत में कृत्य करेगी।
 - (2) राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित एक या अधिक कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात:-
 - (क) पुनर्विलोकन,
 - (एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंड और मानक,
 - (दो) अध्यापक निर्रहताओं और प्रशिक्षणों का अनुपालन और
 - (तीन) धारा 29 का कार्यान्वयन
 - (ख) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्ययन और अनुसंधान आरंभ करना।
 - (ग) राज्य सलाहकार परिषदों के साथ समन्वयन करना।
 - (घ) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, अभियान चलाने और सकारात्मक वातावरण तैयार करने में जनता और मीडिया तथा केन्द्र सरकार के बीच तथा राज्य सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
 - (3) राज्य सलाहकार परिषद् उसके द्वारा किए गए पुनर्विलोकनों, अध्ययनों और अनुसंधान के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विलियम कुजूर, उप–सचिव.

परिशिष्ट प्ररूप एक

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्व घोषणा सह आवेदन नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 15 के उप—नियम (1) देखिए

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, (जिला और राज्य का नाम)

महोदय,

में एतद्द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में स्वःघोषणा औरवर्ष 20....... विद्यालय को प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्ररूप में एक आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

अनुलग्नकः

-भवदीय

स्थानः

तारीखः

प्रबंध समिति का अध्यक्ष / प्रबंधक

- क. विद्यालय के व्यौरे
- 1 विद्यालय का नाम
- 2 शैक्षणिक सत्र
- 3 जिला
- 4 डाक का पता
- 5 ग्राम / शहर
- 6 तहसील
- 7 पिन कोड
- 8 फोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित
- ९ फेक्स नं
- 10 ई.मेल पता यदि हो तो
- 11 निकटतम गुलिस थाना

ख. सामान्य जानकारी

- 1 स्थापना का वर्ष
- 2 विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि
- 3 न्यास/सो प्रायटी/प्रबन्ध समिति का नाम
- 4 क्या न्यास / सोसायटी / प्रबन्ध समिति पंजीकृत है?
- 5 न्यास / सो प्रायटी / प्रबन्ध समिति की पंजीकरण की वैधता अवधि
- 6 क्या न्यास / सोसायटी / प्रबन्ध समिति के गैर खामित्व की प्रकृति का कोई सबूत है जो शपध पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो
- 7 विद्यालय के प्रबन्धन समिति के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम तथा कार्यालयीन पता

HH

पद

पता

फोन नं.

कार्यालयः

0

निवासः

विगत तीन वर्षों के दौरान कुल आय तथा व्यय आधिक्य / कमी

दर्ष

आय

315

आधिक्य / कमी

- ग. विद्यालय का स्वरूप एवं क्षेत्र
- १ शिक्षण का माध्यम
- 2 विद्यालय वा प्रकार (प्रवेश और अंतिम कक्षा दर्शायें)

- ं यदि अनुदान प्राप्त हो तो, एजेंसी का नाम आंर अनुदान का प्रतिशत्
- यांद विद्यालय मान्यता प्राप्त है
- ठ वांदे हों तो किस प्राधिकारी से
 - सायता क्यांक
- 6 वया विद्यालय के पास स्वयं का भवन है या किराये के भवन में संचालित है
- 7 च्या विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या स्थलों का समयोग केवल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है?
- ८ विद्यालय का कुल क्षेत्रफल
- ९ विद्यालय का निर्मित शंव
- ह. नामांकन प्रस्थिति

3781

संक्शनों की संख्या

विद्यार्थियों की संख्या

- १ पूर्व प्राथमिक
- द्र एक से पाच '
- उ एः से आह
- ङ. अवसंरचेना के व्योरं और स्वच्छता संबंधी दशाएँ कक्ष

ओसत आकार

- १ अध्यापन कक्ष
- 2 कार्यालय कक्ष-सह-भंडार कक्ष-सह-प्राध्यापक कक्ष
- उ एसोई सह-भण्डार

च. अन्य प्रसृविधाएं

- 1 क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधारहित पहुँच हैं -
- 2 अध्ययन पडने सामग्री (सूची संलग्न करें)
- 3 क्रीड़ा एवं खेल उपस्कर (सूची संलग्न करें)
- 4 पुरतकालय में पुस्तकों की सुविधा
 - पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या)
 - पत्रिकाएं / समाचार पत्र
- 5 पेयजल सुविधा का प्रकार एवं संख्या
- 6 स्वच्छता संबंधी दशाएं

(एक) डब्ल्यू. सी. और मूत्रालयों का प्रकार

(दो) वालकों के लिए पृथंक मूत्रालयों / शौचालयों की संख्या

(तीन) बालिकाओं के लिए पृथक मूत्रालयों / शौचालयों की संख्या

छ. अध्यापन कर्मचारीवृन्द (टीचींग स्टॉफ) की विशिष्टियां

1. केवल प्राथमिक / उच्च प्रा	थमिक में पढ़ाने वाले (प्रत्येक	शिक्षक 🔠 पृथक विवरण)
शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि
(1)	(2)	(3)

शेक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव
(4)	. (5)	(6)
निर्दिष्ट कक्षा	. नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
(7).	(8)	(9)
		्र क्रिकाच्य का विचलार)
	यमिक दोनां में पढ़ाने वाले (प्रत्ये	ا الأرفاض من المطلمان
शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि
(1)	(2)	(3)
शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव
(4)	(5)	. (0)
निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति विथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
(7)	(ε)	(9)
३. प्रधान पाठक		
शिक्षक का नाम	पिता / पति का नामः	ज्ञ নিথি
(1)	(2)	(3)
शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन सनुभव
(4)	(5)	(6)
,		
निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
(7)	(8)	(9)

ज. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यकम

- प्रत्येक कक्षा (आठवीं तक) में अपनायी गई पाठ्यचर्या एवं पाठ्यकम का विवरण
- 2 छात्र मूल्यांकन की पद्धति
- 3 क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्ष आठवीं तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है?
- इा. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन पत्र के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा कैपचर फॉर्मेट में भी सूचना (जानकारी) प्रस्तुत की है ।

ञ. प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु विद्यालय खुले रहेंगे ।

ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबन्ध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं (जानकारी) प्रस्तुत करेगा जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो भान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।

ठ. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख, किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनाएं (जानकारी) प्रस्तुत करेगा जो केन्द्र और /या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद / राज्य विधानसभा / पंचायत / नगरपालिक निगम के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

रथान :--

हस्ताक्षरित अध्यक्ष / प्रबन्धक प्रबन्ध समितिविद्यालय स्थान

पुरूप-दो

ग्राम :-ई.मेल :- फ़ोन :-

फैक्स :-

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (जिला / राज्य का नाम)

क्

दिनांक

प्रबन्धक,

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय / भहोदया,

आपके आवंदन पत्र की तारीख के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त में (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख से तक नीम वर्षों की अवधि के लिए, कक्षा से तक के लिए अनंतिम भाग्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शताँ कं पूरा कियं जाने के अध्यधीन हैं 🗕

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी ऊप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता / संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
- 2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करगा।
- 3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के ... प्रतिशत तक आस—पडोस के कमज़ीर वर्गी और सुविधा-विद्यान समूह क बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा । परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) क अनुसार प्रतिपृत्ति किया जायंगा। ऐसी प्रतिपृतियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बंक 'खाता सर्वेगा।
- मांसायर्त् / विद्यानयः, किसी क्वेपिटेशन शुक्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वर्च्य या उसक माता—पिता या संस्थान को किसी स्क्वेनिंग प्राक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगाः
- विद्यालय, किसी अच्चे की उपकी श्रम्य का सब्त म होने के कारण प्रवेश देने स्ट इकार नहीं करेगा और वह अधिविधम मी शार 15 से उपबंधों का पालन करेगा। विश्वावया

निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा --

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम '25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।

(पाच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छः) अध्योपकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूननतम अर्हताएं नहीं है 5वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे ।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निर्जी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे। विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित का क्षेत्र

खेल के भैदान का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष

बालकों और वालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मध्यांन्ह भोजन पकाने हेतु रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद के उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास
 के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- ा. विद्यालयं को सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

- 12. विद्यालय को किसी वंयवितक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- ा आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- ्र विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी हारा समय—समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शतों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- ाठ. सोसायटी के रिजर्स्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
- 17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

Raipur, the 15th November 2010

NOTIFICATION

No. F 13-47/20-3/10. —In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

PART I - PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.-(1)These Rules may be called the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a). "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;
 - (b) "Anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;
 - (c) "Appointed date" means the date on which the Act comes into force, as notified in the Official Gazette;
 - (d) "District Education Officer" means an officer of the appropriate Government in charge for elementary education in a district;
 - (e) "Pupil Cumulative Record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;
 - (f) "School mapping" means planning school location for the purpose of section 6 of the Act to overcome social barriers and geographical distance.
 - (2) All references to "forms" in these Rules shall be construed as references to forms set out in Appendix I hereto.
 - (3) All other words and expressions used here in and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II - SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

3. Composition and functions of the School Management Committee .- (1) A School Management Committee (hereinafter in this rule referred to as the said Committee) shall be constituted in every school, other than an unaided school,

within six months of the appointed date, and reconstituted every year. School Education Committee shall be constituted by state Government or authorized authority.

- (2) Seventy five percent of the strength of the School Management Committee shall be from amongst parents or guardians of children.
- (3) The remaining twenty five percent of the strength of the Said Committee shall be from amongst the following persons
 - (i) one third members from amongst the elected members of the local authority, to be decided by the local authority;
 - (ii) one third members from amongst teachers from the school, to be decided by the teachers of the school;
 - (iii) one third from amongst local educationists or children in the school, to be decided by the parents in the Said Committee;
 - (iv) the School Management Committee shall have 50 female members including clauses (i), (ii), (iii) and (iv).
- (4) To manage its affairs, the said Committee shall elect a Chairperson and Vice Chairperson from among the parent members. The Head teacher of the school or where the school does not have a head teacher, the senior most teacher of the school, shall be the ex-officio Member-Convener of the Said Committee.
- (5) The said Committee shall meet at least once a month and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.
- (6) The Said Committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of Section 21, perform the following functions namely:
 - (a) communicate in simple and creative ways to the population in the neighborhood of the school, the rights of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the appropriate Government, local authority, school, parent and guardian;
 - (b) ensure the implementation of clauses (a) and (e) of section 24, and of section 28;
 - (c) monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27;
 - (d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighborhood in the school;
 - (e monitor the maintenance of the norms and standards specified in the Schedule;
 - (f) bring to the notice of the local authority any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per sub-section 2 of section 3;

- (g) identify the needs, prepare a Plan, and monitor the implementation of the provisions of Section 4;
- (h) monitor the identification and enrolment of, and facilities for learning by disabled children, and ensure their participation in, and completion of elementary education;
- (i) monitor the implementation of the mid-day meal in the school;
- (j) Prepare an annual account of receipts and expenditure of the school.
- (7) Any money received by the said Committee for the discharge of its functions under this Act, shall be kept in a separate account, to be audited annually.
- (8) The accounts referred to in clause (j) to sub-rule (6) and in sub-rule (7) should be signed by the Chairperson or vice-chairperson and Convener of the said Committee and made available to the local authority within one month of their preparation.
- 4. Preparation of School Development Plan.- (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.
 - (2) The School Development Plan shall be a three year plan comprising three annual sub plans.
 - (3) The School Development Plan, shall contain the following details, namely:-
 - (a) estimates of class-wise enrolment for each year;
 - (b) requirement, of the number of additional teachers, including Head Teachers, subject teachers and part time instructors, separately for Classes I to V and classes VI to VIII, calculated, with reference to the norms specified in the Schedule of the Act;
 - (c) physical requirement of additional infrastructure and equipments over the three year period, calculated, with reference to the norms and standards specified in the Schedule of the Act;
 - (d) financial requirement in respect of (b) and (c) above, including for providing special training facility specified in section 4, entitlements of children such as free text books and uniforms, and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.
 - (4) The School Development Plan shall be signed by the chairperson or vice-chairperson and convener of the School Management Committee and submitted to the local authority before the end of the financial year in which it is to be prepared.

PART III – RIGHT TO CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

- 5. Special Training. (1) The School Management Committee of a school owned and managed by the appropriate Government or local authority shall identify children requiring special training and organize such training in the following manner, namely:-
 - (a) the special training shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority specified in sub-section (1) of section 29;
 - (b) the said training shall be provided in classes held on the premises of the school, or in classes organized in safe residential facilities;
 - (c) the said training shall be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose;
 - (d) The duration of the said training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress for maximum period not exceeding two years.
 - (2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally.

PART IV – DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CENTRAL GOVERNMENT, APPROPRIATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

- 6. Areas or limits of neighbourhood.- (1) The areas or limits of neighbourhood within which a school has to be established by the State Government or local authority shall be:-
 - (a) in respect of children in classes I V, a school shall be established within a walking distance of one kilometer of the neighborhood;
 - (b) in respect of children in classes VI VIII, a school shall be established within a walking distance of three km of the neighborhood.
 - (2) Wherever required, the appropriate Government or the local body shall upgrade existing schools with classes I V to include classes VI VIII. In respect of schools which start from class VI onwards, the appropriate Government or the local body shall endeavour to add classes I-V, wherever required.
 - (3) In places with difficult terrain, risk of landslides, floods, lack of roads and in general, danger for young children in the approach

from their homes to the school, the appropriate Government or Local Authority shall locate the school in such a manner as to avoid such dangers, by reducing the limits specified under sub-rule (1).

- (4) For children from small hamlets, as identified by the appropriate Government or local authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub-rule (1) the appropriate Government or local authority shall make adequate arrangements, such as free transportation and residential facilities, for providing elementary education in a school, in relaxation of the areas or limits specified in the said rule.
- (5) In places with high population density, the appropriate Government or local authority may consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such places.
 - (6) The local authority shall identify the neighbourhood school(s) where children can be admitted and make such information public for each habitation.
 - (7) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school the appropriate Government or local authority shall endeavour to make appropriate and safe transportation arrangements for them to attend school and complete elementary education.
- (8) The appropriate Government or local authority shall ensure that access of children to the School is not hindered on account of social and cultural factors.
- Financial Responsibility of the State Government for the resources made available by Central Government. (1) The State Government shall prepare annual estimates of capital and recurring expenditure for carrying out the provision of the Act, for a period of five years, within one month of the appointed date, which may be reviewed for every three years.
 - (2) In order to implement the provisions of the Act, the **State** Government shall, within a period of six months of the appointed date, ensure that its programmes for elementary education are in conformity with the provisions of the Act.
 - (3) The State Government shall, within a period of six months from the appointed date, hold consultation with the local authority and determine the percentage of expenditure which it shall provide to the local authority as grants-in-aid of revenues for implementation of the Act.
 - (4) The State Government shall set up an alternative mechanism for the purpose of getting resources from Central Governments, for the implementation.

- 8. Academic responsibility of the State Government.— (1) The State Government shall notify state council of educational research and training an academic authority within one month of the appointed date for development of the framework of state curriculum.
 - (2) The State Government shall in consultation with the central Government and such other academic authorities it may consider necessary, prepare a Scheme (s) for enabling the State Government to provide pre-service and in-service training of teachers in respect of schools specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause (n) of section 2 of the Act, including a monitoring mechanism in accordance with the standards of training.
- 9. Responsibilities of the appropriate Government and local authority.- (1) A child attending a school of the appropriate Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of Section 2, a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of Section 2 in accordance with clause (b) of sub section (1) of Section 12, and a child attending a school referred to in sub-section (1) of Section 12 shall be entitled to free text books, Writing materials and uniforms:

Provided that a child with disabilities shall be entitled also for free special learning and support material.

Explanation- For the purposes of sub-rule (1), it may be stated that in respect of the child admitted in accordance with clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and a child admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of Section 12, the responsibility of providing the free entitlement shall be of the school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of Section 2 and of sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of Section 2, respectively.

- (2) For the purpose of determining and for establishing neighbourhood schools, the appropriate government or local authority shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disabilities, children belonging to disadvantage d groups, children belonging to weaker sections and children referred to in section 4, within a period of one year from the appointed date, and every year thereafter.
- (3) The appropriate government or local authority shall ensure that no child is subjected to caste, Class, religious or gender abuse in the school.
- (4) For the purposes of clause (c) of Section 8 and clause (c) of Section 9, the appropriate government and the local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of

common drinking water and toilet facilities, and in the cleaning of toilets or classrooms.

- 10. Maintenance of records of children by the local authority.- (1) The local authority shall maintain a record of all children, in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years.
 - (2) The record, referred to in sub-rule (1), shall be updated annually.
 - (3) The record, referred to in sub-rule (1), shall be maintained transparently, in the public domain and used for the purposes of clause (e) of Section 9.
 - (4) The record, referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, include-
 - (a) name, sex, date of birth, place of birth;

(b) names, address, occupation of Parent / guardian :

- (c) pre-primary school/Anganwadi centre that the child attends (up to a age 6);
- (d) elementary school where the child is admitted;

(e) present address of the child;

- (f) class in which the child is studying (for children between age 6-14), and if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause of such discontinuance:
- (g) whether the child belongs to the weaker section;

(h) whether the child belongs to a disadvantaged group;

- (i) whether the child requires special facilities or residential facilities on account (i) of migration and sparse population; (ii) age appropriate admission; (iii) disability.
- (5) The local authority shall ensure that the names of all children enrolled in the schools are publicly displayed in each school.

PART V - RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

- 11. Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group.— (1) The school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Act shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.
 - (2) The school referred to in clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and ICT facilities, extracurricular and sports.

(3) The area or limits of neighbourhood specified in sub-rule (1) of rule 6 shall apply to admissions made in accordance with clause (c) of subsection (1) of section 12.

Provided that the schools may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 12, extend these area or limits with the prior approval of the appropriate Government.

- 12. Reimbursement of per-child-expenditure by the appropriate Government.— (1) The total annual recurring expenditure incurred by the appropriate Government from its own funds, or funds provided by the Central Government and by any other authority, on elementary education in respect of all schools referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, divided by the total number of children enrolled in all such schools, shall be the per-child expenditure incurred by the appropriate Government.
 - Explanation For the purpose of determining the per-child expenditure, the expenditure incurred by the appropriate Government or local authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.
 - (2) Every school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of Section 12.
- 13. Documents as age proof.— Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1886 (6 of 1886) is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools—
 - (a) Hospital / Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record
 - (b) Anganwadi record
 - (c) Declaration through an affidavit of the age of the child by the parent or guardian
- 14. Extended period of admission .- (1) Extended period of admission shall be six months from the date of commencement of the academic year of a school.
 - Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head teacher of the school.

- 15. Recognition to school.- (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government appropriate Government or local authority, established before the commencement of this Act shall make a self declaration within a period of three months of the commencement of the Act, in Form No. 1 to the concerned District Education Officer regarding its compliance or otherwise with the norms and standards prescribed in the Schedule and the following conditions, namely:-
 - (a) the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;
 - (b) the school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
 - (c) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;
 - (d) the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;
 - (e) the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate Government or the local authority;
 - (f) the school furnishes such reports and information as may be required from time to time and complies with such instructions of the State Government or local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
 - (2) Every self declaration received in Form 1 shall be placed by the District Education Officer in public domain within fifteen days of its receipt.
 - (3) The District Education Officer shall within three months of the receipt of the self declaration cause on-site inspection of such schools which claim in Form No. 1 to fulfill the norms and standards and the conditions mentioned in sub- rule (1).
 - (4) After the inspection referred to in sub-rule (3) is carried out, the inspection report shall be placed by the District Education Officer in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions shall be granted recognition by the District Education Officer in Form No. 2 within a period of 15 days from the date of inspection.
 - (5) Schools that do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) shall be listed by the District Education Officer through a public order to this effect, such schools may request the District Education Officer for an on-site inspection for grant of recognition at any time within the next two and a half years, so that such period does not exceed three years from the commencement of the Act.

(6) Schools which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub rule (1) after three years from the commencement of the Act, shall cease to function.

(7) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government and appropriate Government or local authority established after the commencement of this Act shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition under this rule.

- Officer (hereinafter in this rule referred to as the said Officer) on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 15, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfill the norms and standards prescribed in the Schedule, he shall Act in the following manner:-
 - (a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month;
 - (b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the said Officer may cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee of three to five members comprising of educationists, civil society representatives, media, and government representatives, which shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, to the said Officer;

(c) on receipt of the report and recommendations of the Committee, the said Officer may pass order for withdrawal of recognition.

Provided that no order for withdrawal of recognition shall be passed by the said Officer without giving the school adequate opportunity of being heard:

Provided further that no such order shall be passed by the said Officer without prior approval of the appropriate Government.

(2) The order of withdrawal of recognition passed by the said Officer shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighborhood schools to which the children of the de-recognized schools shall be admitted.

PART VI - TEACHERS

- 17. Minimum qualifications.- (1) The State Government shall, within one month of the appointed date, notify an academic authority for laying down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher.
 - (2) the academic authority notified in pursuance of sub-rule (1), shall, within three months of such notification, lay down the minimum qualifications for persons to be eligible for appointment as a teacher in an elementary school.

(3) The minimum qualifications laid down by the academic authority referred to in sub-rule (1), shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2.

- 18. Relaxation of minimum qualifications.- (1) The State Government shall within six months from the commencement of the Act estimate the teacher requirement as per the norms in the Schedule for all schools referred to in clause (n) of Section 2.
 - Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or persons possessing minimum qualifications as laid down under sub-rule (2) of rule 17 are not available in sufficient numbers in relation to the requirement of teachers estimated under sub-rule (1), the State Government shall request, within one year of the commencement of the Act, the Central Government for relaxation of the prescribed minimum qualification.

(3) On receipt of the request referred to in sub-rule (2), the Central Government shall examine the request of the State Government and may, by notification, relax the minimum qualifications.

- (4) The notification referred to in sub-rule (3) shall specify the nature of relaxation and the time period, not exceeding three years, but not beyond five years from the commencement of the Act, within which the teachers appointed under the relaxed conditions acquire the minimum qualifications specified by the academic authority notified under sub-section (1) of section 23.
- (5) After six months from the commencement of the Act, no appointment of teacher for any school can be made in respect of any person not possessing the minimum qualifications notified in sub-rule (2) of rule 17, without the notification of relaxation referred to in sub-rule (3).
- (6) A person appointed as a teacher within six months of the commencement of the Act, must possess at least the academic qualifications not lower than higher secondary school certificate or equivalent.

- 19. Acquiring minimum qualifications.—(1) The State Government shall provide adequate teacher education facilities to ensure that all teachers in schools refereed to in sub-rule (i), and school owned and managed by the Central Government or the State Government or Union territory or local authority under sub-clause (iii), of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications laid down, under sub-rule (2), of rule 17, at the time of commencement of the Act, to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.
 - (2) For a teacher, of a school, referred to in sub-clause (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, and of a school referred to in sub-clause (iii) of clause (n) of section 2 not owned and managed by the Central Government, State Government or Union Territory or local authority, who does not possess the minimum qualifications laid down under sub rule (2) of Rule 17, at the time of commencement of the Act, the management of such school shall enable such teacher to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.
- 20. Salary and allowances and conditions of service of teachers.- (1) The appropriate Government or the local authority, as the case may be, shall notify terms and conditions of service and salary and allowances of teachers of schools owned and managed by them in order to create a professional and permanent cadre of teachers.
 - (2) In particular and without prejudice to sub-rule (1) the terms and conditions of service shall take into account the following, namely:-
 - (a) accountability of teachers to the Schools Management Committee;
 - (b) Provisions enabling long term stake of teachers in the teaching profession.
- 21. Duties performed by teachers.- (1) The teacher shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child which will the basis for the awarding the certificate for completion of elementary education.
 - (2) A teacher, in addition to the functions specified in clause (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, may perform the following duties:-
 - (a) Participation in training programmes;
 - (b) Participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and text book development.
- 22. Maintaining pupil-teacher ratio.- (1) The sanctioned strength of teachers in a school shall be notified by the State Government or the local authority,

as the case may be, within a period of three months of the appointed date:

Provided that the State Government or the local authority, as the case may be, shall, within three months of such notification, redeploy teachers of schools having a strength in excess of the sanctioned strength prior to the notification referred to in sub-rule (1).

(2) If any person of the appropriate Government or the local authority violates the provisions, of sub-section (2) of Section 25, he or she shall be personally liable for disciplinary action.

PART VII – CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

- 23. Academic authority. (1) The State Government shall notify the State Council of Educational Research and Training, as the academic authority for the purposes of section 29, within one month of the appointed date.
 - (2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority State Council of Educational Research and Training notified under sub-Rule (1) shall.-
 - (a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material
 - (b) develop in-service and pre service teacher training design; and
 - (c) prepare guidelines for putting in to practice continuous and comprehensive evaluation.
 - (3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis
- 24. Award of certificate.- (1) The Certificate of completion of Elementary Education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education.
 - (2) The Certificate referred to in sub-rule (1) shall contain the pupil Cumulative record of the child.

PART VIII - PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

- 25. Performance of functions by the State Commission for Protection of Child Rights. (1) State Government shall provide resource support to the State Commission for Protection of Child Rights in performance of its functions under the Act.
- 26. Manner of furnishing complaints before the State Commission for Protection of Child Rights.- The State Commission for Protection of Child

Rights may set up a child helpline to register complaints regarding violation of rights of child under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.

- 27. Performance of function by the State Commission for Protection of Child Rights.- (1) An appropriate Government which does not have a State Commission for Protection of Child Rights, may take immediate steps to set up such Commission.
 - (2) Till such time as the appropriate Government sets up the state for protection of Child Right, it shall constitute an interim authority known as the Right to Education Protection Authority (hereinafter in this rule referred to as the REPA) for the purposes of performing the functions specified in sub-section (1) of section 31, within six months of the commencement of Act or the constitution of the State Commission for Protection of Child Rights, whichever is earlier.
 - (3) The Right to Education Protection Authority (REPA) shall consist of the following, namely:
 - (a) a chairperson who is a person of high academic repute or has been a High Court Judge or has done outstanding work for promoting the rights of children; and
 - (b) two Members, of whom at least one shall be a woman, from the following areas, from amongst persons of eminence, ability, integrity, standing and experience in
 - (i) education;
 - (ii) child health care and child development;
 - (iii) juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities;
 - (iv) elimination of child labor or working with children in distress:
 - (v) child psychology or sociology; or
 - (vi) legal profession.
 - (4) The National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 shall, so far as pertains to the terms and conditions, mutatis mutandis apply to Chairperson and other Members of the REPA.
 - (5) Immediately after its constitution to the State Commission for Protection of Child Rights all records and assets of the REPA shall be transferred.
 - (6) In performance of its functions, the State Commission for Protection of Child Rights or the REPA, as the case may be, may also act upon matters referred to it by the State Advisory Council.

- (7) The appropriate Government shall provide resource support to the State Commission for Protection of Child Rights or the REPA, as the case may be, in performance of its functions under the Act.
- 28. Manner of furnishing complaints before the State Commission for Protection of Child Rights.- (1) The State Commission for Protection of Child Rights or the Right to Education Protection Authority (hereinafter in this rule referred to as REPA) as the case may be, may set up a child help line, which would register complaint regarding violation of rights under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.
- 29. Constitution of the State Advisory Council. (1) The State Advisory Council (hereinafter in referred to in this rule as the Council) shall consist of a Chairperson and fourteen Members.

(2) The Minister in-charge of the School Education in the State Government shall be the ex-officio Chairperson of the Council.

- (3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under-
 - (a) four members should be from amongst persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities;
 - (b) two member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;
 - (c) one member should be from amongst persons having specialized knowledge in the field of pre-primary education;
 - (d) two members should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;
 - (e) the following shall be ex-officio members of the Council:-
 - Secretary in charge of School Education;
 - ii. Secretary in charge of Tribal Welfare Department;
 - iii. Director of State Council of Educational Research and Training;
 - iv. Secretary, State Literacy Mission Authority;
 - v. Chairperson, State Commission for Protection Child Right.
 - (f) one third of all members shall be women;
 - (g) the Secretary shall be ex-offico Member Secretary of the Council;
- (4) The Council may especially invite representatives of other related Ministries/Department as required.

- 30. Function of the State Advisory Council.- (1) The State Advisory Council shall Function in an advisory capacity.
 - (2) The State Advisory Council shall perform one or more of the following function, namely:-
 - (a) review
 - i. norms and standards specified in the Schedule;
 - ii. compliance with teacher qualifications and trainings; and
 - iii. implementation of section 29.
 - (b) commission studies and research for the effective implementation of the Act;
 - (c) coordinate with the State Advisory Councils;
 - (d) act as an interface between the public and the media and the Central Government in creating awareness, mobilization, and a positive environment for the implementation of the Act.
 - (3) The State Advisory Council shall prepare reports relating to the reviews, studies and research undertaken by it and furnish the same to the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

APPENDIX FORM I

SELF DECLARATION CUM APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL

See sub-Rule (1) of Rule 15 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rule, 2009

To

The District Education Officer (Name of District & State)

Sir,

I	forwa	rd herewith	n with a se	elf dec	laration i	regarding	g complia	ance	with
the norm	ns and	standards p	rescribed in	n the S	Schedule	of the	Right of	Chil	dren
to Free	and	Compulsor	y Education	Act,	2009 a	nd an	applicatic	n in	the
prescrib	ed	proforma	for	the	grant	t of	recogn	ition	to
			()	Name	of the sc	hool)		,,,,,	With
			ment of the						

Yours faithfully,

Enclosure:

Place:

Date:

Chairman of Managing Committee/Manager

A. School Details

- Name of School 1.
- Academic Session 2.
- District. 3.
- Postal Address 4
- Village/City 5.
- Tahsil 6.
- Pin Code: 7. .
- Phone No. with STD Code
- 9. Fax No.
- E-mail address if any 10.
- nearest Police Station 11.

B. General Information

- Year of Foundation 1.
- Date of First Opening of School 2.
- Name of Trust/Society/Managing Committee 3.
- Whether Trust/Society/Managing Committe e/ is registered 4.
- Period upto which Registration of Trust/Society/Managing Committee 5. is valid
- Whether there is a proof of non-proprietary character of the 6. Trust/Society/Managing Committee supported by the members with their address on an affidavit in copy
- Name official address of the Manager/President/C/Chairman of the 7. School

Name

Designation

Address

Phone

Total Income & Expenditure during last 3 years surplus/deficit Year 8. Income Expenditure Surplus/deficit

C. Nature and area of School

- Medium of Instruction 1.
- Type of School (Specify entry & exit classes) 2.
- If aided, the name of agency and percentage of aid 3.
- If School Recognized 4.
- If so, by which authority Recognition number 5.
- Does the school has its own building or is it running in a rented 6. building.
- Whether the school buildings or other structures or the grounds 7. are used only for the purpose of education and skill development?
- Total area of the school 8.
- Built in area of the school 9.

D. Enrollment Status

Class

No. of Section

No. of Students

- Pre-primary 1.
- I V2.
- VI VIII3

E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions

Room

Numbers

Ave rage Size

- Classroom
- Office room cum Store Room c um Headmaster Room 1. 2.
- Kitchen Cum Store 3.

F. Other Facilities

- Whether all facilities have barrier free access 1.
- Teaching Learning Material (attach list) 2.
- Sports & Play equipments (attach list) 3.
- Facility books in Library

Books (No. of books)

Periodical/Newspapers

- Type and number of drinking water facility 5.
- Sanitary Conditions 6.
 - (i) Type of W.C. & Urinals
 - (ii) Number of Urinals/Lavatories Separately for boys
 - (iii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Girls

G. Particulars of Teaching Staff

1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher

Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Data of Birth (3)
Academic Qualification (4)	Professional Qualification (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

2. Teaching in Both Elementary and Secondary (Details of each teacher

separately)	Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Data of Birth (3)
Acad	emic Qualification	Professional Qualification	Teaching Experience
	(4)	(5)	(6)

Appointment Date	Trained or Untrained
(8)	(9)
<u> </u>	
Father/Spouse Name	Data of Birth
(2)	(3)
Professional Oualification	Teaching Experience
(5)	(6)
Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)
	Father/Spouse Name (2) Professional Qualification (5) Appointment Date

H. Curriculum and Syllabus

1. Details of curriculum & syllabus followed in each class (up to VIII)

2. System of Pupil Assessment.

3. Whether pupils of the school are required to take any Boa rd exam up to class 8?

I. Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application.

J. Certified that the school is open to inspection by any officer

authorized by the appropriate authority;

K. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the District Education Officer as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;

L. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection. by any officer authorized by the District Education Officer or appropriate authority at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the Central and / or State Government/ Local Body or the Administration to discharge its or his obligations to Parliament /Legislative Assembly of the state/Panchayat/ Municipal Corporation as the case may be.

Place

Sd./Chairman/Manager,
Managing Committee
......School
Place

Form II

Gran	
E-M	ail: Fax:
	OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER (Name of District / State)
No.	Dated:
	The Manager,
Sub:	Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 11of Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2009 for the purpose of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
Dear	Sir/Madam,
prov	With reference to your application dated and subsequent espondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for isional re cognition to the (name of the school with address) for s to Class for a period of three years with effect from
The	above sanction is subject to fulfillment of following conditions:- The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII;
2.	The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure-I) and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2009 (Annexure-II);
3.	The School shall admit in class I, (or in pre-school class, as the case may be), to the extent of% of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion. Provided, further that in case of pre primary classes also, this norm shall be followed;
4.	For the children referred to in paragraph 3, the School shall be reimbursed as per Section 12(2) of the Act. To receive such reimbursements school shall

provide a separate bank account;

5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure;

6. The School shall not deny admission to any child for lack of age proof, shall adhere to the provisions of section 15 of the Act. The School shall ensure-

- (i) No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
- (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
- (iii) No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
- (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under Rule 25;
- (v) Inclusion of Students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
- (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided further that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications with in a period of 5 years;

(vii) The teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act; and

(viii) The teachers shall not engage him or her for private teaching activities.

7. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority;

8. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-

Area of school campus

Total built up area

Area of play ground

No. of class rooms

Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom

Separate toilet for boys and girls

Drinking Water Facility

Kitchen for cooking Mid Day Meal

Barrier free Access

Availability of Teaching Learning Material /Play Sports Equipments /Library;

9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school;

10. The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes education and skill development;

598 (48)

The School is run by a society registered under the Societies Registration 11. Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;

The School is not run for profit to any individual, group 12.

association of individuals or any other persons;

The accounts should be audited and certified by a Chartered 13. Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the District Education Officer every year;

The recognition Code Number allotted to your school is -----. This 14. may please be noted and quoted for any correspondence with this office;

- The school furnishes such reports and information as may be required by 15. the Director of Education/District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ Local Authority as may be issued to se cure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school:
- Renewal of Registration of Society if any is ensured; 16.
- Other conditions as per Annexure 'III' enclosed. 17.

Yours faithfully, **District Education Officer**